



## KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

### **PERMIT FORM** **(SHAMAN UPVIDHI -2009)**

WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

S. No. :- 59

Plot/House/araji no 530/2, 528/2, 531/2, 532/1, 529, 527/2MI,  
533/2, 544, 545, 532 MI, 528/1, 530 MI,  
533/1 MI, 531/1 Block/Sector/ Type ---

Date of issue 03.04.2025 Scheme ---

Permit No. 14/ENF-2/SHAMAN/2025-26 Date 08.10.2024

Area(Place) BAIRI AKABARPUR BANGAR  
(GOOBA GARDEN)

Land Usage GROUP HOUSING

Applicant's Name MR. VIJAY KUMAR MEHROTRA & OTHER

Present Address R/O-8/21, ARYA NAGAR, KANPUR NAGAR,

Sanctioned vide order dated:-04.03.2025 of V.C. BY/Authorized officer. **Compounding** permission granted as per **compounding/existing plan** enclosed Subject to The Conditions as per written overleaf.

Authorised Signatory

(डा० रवि प्रताप सिंह)

विशेष कार्याधिकारी

का० वि० प्रा०, कानपुर

Authorised Signatory

Copy To:-Officer Incharge (Building Department) alongwith Sanctioned Copy of Map.

अनुज्ञा की शर्तों:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
6. वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण हार्वेस्टिंग, सोलर संयंत्र की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था रूफटाप क्षेत्रफल के आधार पर अर्हता प्राप्त दक्ष इंजीनियर से डिजाइन कराकर निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
8. अग्निशमन विभाग, जल संस्थान, केस्को एवं प्रदूषण विभाग से प्राप्त अनापत्तियों में वांछित शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
9. मानचित्र के लोकेशन प्लान में दर्शित रोड को यथावत् स्थल पर सुगम आवागमन हेतु रिक्त रखना होगा।
10. भवन के दाहिनी ओर स्थित 5.00 मीटर सेटबैक सार्वजनिक आवागमन हेतु रिक्त रखना होगा। एवं इस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण भविष्य में नहीं किया जायेगा।
11. निर्मित भवन के भूकम्परोधी होने की सुनिश्चितता आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
12. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार स्थल पर वृक्ष लगाने अनिवार्य होंगे एवं उनकी स्वयं देखभाल करनी होगी।
13. उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
14. भवन की स्ट्रक्चरल सेपटी के दृष्टिगत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। स्थल पर निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में पूर्ण किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
15. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी गार्ड लाईन-2010 की शर्त के अनुसार निर्माणकर्ता विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निर्माण सामग्री को पूर्ण रूप से ढक कर व ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर रखना होगा। निर्माणी सामग्री सड़क पर ढक कर रखनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहन का कार्य करना होगा।
16. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाइड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
17. भविष्य में शुल्कों के सम्बन्ध में कोई यदि वित्तीय देयता होती है, तो आवेदक को देय होगी।
18. शमन मानचित्र की स्वीकृति ग्रुप हाउसिंग के उपयोग हेतु प्रदान की जा रही है। इतर अनुकिया कदापि अनुमन्य नहीं होगी।
19. किसी भी प्रकार के वाद-वि वाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
20. उ०प्र० अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 के प्राविधानों में भाग-4(5) 12(1)/13 सपटित नियम-3 का अनुपालन करना होगा। अपार्टमेन्ट एक्ट में प्राविधानित प्रारूपों पर समस्त विवरण अंकित करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
21. रेरा की शर्तों का पालन करना होगा। भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
22. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की समस्त जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।
23. भवन का निर्माण एवं प्रयोग स्वीकृति के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।
24. बेसमेन्ट के निर्माण में बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेपटी सुनिश्चिता बेसमेन्ट का उपयोग डोमेस्टिक स्टोरेज प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, की सुनिश्चितता का दायित्व आवेदक का होगा।
25. पार्किंग स्थल का प्रयोग केवल पार्किंग प्रयोजन हेतु ही करना होगा।
26. अनावसीय भवनों में यू०पी०ई०सी०बी०सी० कोड-2018 की अपेक्षाओं के अनुसार संयोजित विद्युत अधिभार-100 कि०वा० या उससे अधिक हो अथवा कान्ट्रिबूट डिमाण्ड 120 के०वी०ए० या उससे अधिक हो अथवा भवन का भूखण्ड क्षेत्रफल-1000 वर्ग मी० से अधिक एवं निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मी० (तलघर छोड़कर) में भवन की छत पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक विद्युत मांग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल जो भी कम हो पर रिन्यूवेबल एनर्जी जनरेशन जौन/सोलर पावर प्लांट की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।
27. अशमनीय भाग को हटाने हेतु दिये गये नोटरी शपथ पत्र के कम में मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वयं हटाना होगा।
28. मानचित्र में दर्शित रोड वाइडनिंग वाले भाग पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
29. सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एक्ट-2016 एवं कान्स्ट्रक्सन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 का पालन करना होगा।
30. अनुमन्य माइक्रोन सीमा से बाहर की पोलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होगा।
31. स्थल पर कूड़ा निस्तारण हेतु एक नीला तथा एक हरा कूड़ादान रखना होगा।
32. पूर्व स्वीकृति प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र परमिट में अंकित सभी शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
33. शासनादेशानुसार स्थल पर निर्मित निर्माण के कोविड-19 (नोबल कोरोना वायरस) में दिये गये शर्तों के अधीन होने की सुनिश्चितता आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
34. कानपुर विकास प्राधिकरण संशोधित उपविधि 2009 के प्रस्तर 2.2 के अनुसार प्रस्तुत शमन मानचित्र में शमन योग्य निर्माण के शमन के अतिरिक्त अशमनीय भाग को आगे गतिमान नहीं रखा जायेगा तथा शमन मानचित्र निर्गत उपरान्त 30 दिन के भीतर अशमनीय निर्माण समाप्त करना होगा अन्यथा प्राधिकरण द्वारा पुनः अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु विकास प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। यदि आवेदक स्वयं ध्वस्तीकरण भाग का स्वयं ध्वस्तीकरण नहीं करता है तो प्रवर्तन अनुभाग स्थल का निरीक्षण कर ध्वस्त करायेगा।
35. उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन आवेदक द्वारा करने की दशा में प्रदान की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

Authorised Signatory

(डा० रवि प्रताप सिंह)


विशेष कार्याधिकारी

क्र० वि० प्रा०, कानपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GZ 462134



आदरणीय चेयरमैन RERA U-P

मैं विजय कुमार मेहरोत्रा Gooba City का प्रमोटर आपके सामने रिवाइज्ड मैप के अनुसार रिवाइज्ड इन्वेंटरी RERA पोर्टल पर अपडेट कर रहा हूँ।

नीचे प्रस्तुत चार्ट में इन्वेंटरी अपडेटेड पलोर वाइस कंफीग्रेशन में प्रस्तुत की गई हैं। इस नीचे प्रस्तुत की गई इन्वेंटरी चार्ट में हम प्रमोटर्स ने प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स की इन्वेंटरी को नहीं गिना है और न उसे प्रस्तुत किया है।

हमने बिल्कुल मौके और नए प्रस्तुत मानचित्र के हिसाब से ये इन्वेंटरी चार्ट बनाया है और त्मत के समक्ष पारदर्शिता रखते हुए प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की इन्वेंटरी को इस नए प्रस्तुत इन्वेंटरी चार्ट में नहीं शामिल किया है। ताकि कंज्यूमर को कोई गलत इनफॉर्मेशन न जाने पाए।


आपका धन्यवाद

Sworn before me the day of  
by Str. Vijay Kumar Mehrotra to whom the  
Contents of the Affidavit have been  
read over and explained who is duly  
identified

विजय कुमार मेहरोत्रा  
Vijay Kumar

L.R. Narayan, Advocate  
Govt. Notary, Kanpur (U.P.)

21/07/20



Block No.	Floor No.	Flat type	No. of Flats	Total Area Balcony Sq Mtr	Vernadah	Total Vernadah	Garage	Total Garage	Parking
Block A	1	2 BHK	54	108	0	0	0	0	54
Block A	2	2 BHK	54	108	0	0	0	0	54
Block A	3	2 BHK	54	108	0	0	0	0	54
Block A	4	2 BHK	54	108	0	0	0	0	54
Block A	5	2 BHK	54	108	0	0	0	0	54
Block A	6	2 BHK	54	108	0	0	0	0	54
Block A	7	2 BHK	44	88	0	0	0	0	44
Block A	7	4BHK	5	120.8	0	0	0	0	5
Block A	8	2 BHK	26	60.4	0	0	0	0	26
Block A	8	4BHK	14	120.8	0	0	0	0	14
Block A	9	2 BHK	4	60.4	0	0	0	0	4
Block A	9	4BHK	11	120.8	0	0	0	0	11
Central Block	1	2 BHK	12	60.40 Sq Mtr	0	0	0	0	12
Central Block	2	2 BHK	12	60.40 Sq Mtr	0	0	0	0	12
Central Block	3	2 BHK	12	60.40 Sq Mtr	0	0	0	0	12
Central Block	4	2 BHK	12	60.40 Sq Mtr	0	0	0	0	12
Central Block	5	2 BHK	12	60.40 Sq Mtr	0	0	0	0	12
Central Block	6	2 BHK	12	60.40 Sq Mtr	0	0	0	0	12
Central Block	7	2 BHK	12	60.40 Sq Mtr	0	0	0	0	12
Central Block	8	2 BHK	8	60.40 Sq Mtr	0	0	0	0	8
				91.2					

*Digvijay Kumar*